# राजस्थान–सरकार
# न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राजस्थान)
## (बईजलास : चेतन देवडा आई.ए.एस.)

पंजियन दि. 17.01.2018
निर्णय दि. 29.05.2019

प्रकरण सं.–01 / 2018

1. श्री कांतीलाल पिता देवजी पटेल, निवासी थाणा तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)
2. श्री लालशंकर पिता देवजी पटेल, निवासी थाणा तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)

–– अपीलार्थीगण

**बनाम**

1. श्री हीरा पिता हक्सी पटेल, निवासी थाणा तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)
2. श्रीमती हाकेर पत्नी हिरा पटेल, निवासी थाणा तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)
3. तहसीलदार, तहसील डूंगरपुर (राज.)
4. पटवारी हल्का थाणा जरिये तहसीलदार, डूंगरपुर (राज.)

––रेस्पोडेन्टगण

**प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत्**

उपस्थित :– 1. श्री प्रेमपुरी गोस्वामी एडवोकेट – अपीलान्टगण
2. श्री अल्लानूर मंसुरी एडवोकेट – रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2
3. पेरोकार सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

**:: निर्णय ::**

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के अंतर्गत प्रस्तुत करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम ग्राम थाणा की आराजी संख्या 2787 में आवंटित भूमि रकबा 10 बिस्वा जिसका नवीन आराजी संख्या 4327 / 2787 कायम किया गया है, को निरस्त कराने प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम ग्राम थाणा की बिलानाम आराजी संख्या 2787 में रकबा 10 बिस्वा भूमि कृषि प्रयोजनार्थ जरिये मीसल संख्या 139 / 2008 के द्वारा दिनांक 08.01.2008 को आवटित हुई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम आवंटित उक्त भूमि का आवंटन मौके एवं रेकार्ड के वास्तविक तथ्यों को छुपाते हुए करवाया गया है। आवंटन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थीया श्रीमती हाकेर के हस्ताक्षर

Scanned by CamScanner

अथवा अंगुस्त निशानी नही है एवं न ही उसका प्रमाणीकरण ही है। आवेदीगण द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नही की गई है। आवंटित उक्त भूमि डूंगरपुर–मेवाड़ा–मोडासा (गुजरात) मुख्य मार्ग पर स्थित होकर सड़क से 50 गज के अंदर की भूमि है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने उक्त आवंटन जरिये मीस रिप्रजेन्टेशन एवं फ्रॉड के करवाया है, जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम किया गया उक्त आवंटन निरस्त किया जावे।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अभिभावक नियुक्त किया गया। विपक्षी संख्या 3 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुए।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से दौराने सुनवाई प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 26 नियम 9 सपठित 151 जा.दी. के प्रस्तुत करते हुए अपीलाधीन भूमि का स्थल निरीक्षण करा मौका रिपोर्ट तलब कराने हेतु निवेदन किया गया। न्यायहित में तहसीलदार डूंगरपुर से विवादित भूमि ग्राम थाणा के खसरा संख्या 4327/2787 रकबा 10 बिस्वा की मौका रिपोर्ट जरिये पत्रांक 741 दिनांक 23.03.2018 के द्वारा तलब की गई जो जरिये पत्र क्रमांक 529 दिनांक 27.03.2018 के प्राप्त होकर पत्रावली संग्रहित है। अपीलार्थीद्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र/अपील के क्रम में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के द्वारा अपना विस्तृत जवाव प्रस्तुत किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के अभिभाषक ने थाणा से मेवाडा सड़क वावत् सार्वजनिक निर्माण विभाग का पत्र संख्या 130 दिनांक 09.04.2018 प्रस्तुत किया एवं पेनाल्टी रसीद की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की है।

उभय पक्षो के योग्य अभिभापकगणो एवं पेरोकार सरकार की बहस समायत की गई। अपीलार्थीके अभिभापक ने अपनी लिखित बहस, नक्षा खसरा मय कृषि भूमि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 की छाया प्रतियां प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि आवंटन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रपत्र–3 पर आवंटन की सह आवेदक श्रीमती डाकेर के हस्ताक्षर अथवा अंगुष्ठ निशानी नही है एवं न ही आवेदन पत्र का प्रमाणीकरण ही किया गया है जो सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा आवंटन नियम की शर्त संख्या 14(3) की पालना नही की गई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पीछे अपीलार्थीकी भूमि है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने इसके आगे धोखे से मिलीभगत करते हुए अवैधानिक रूपेण स्टेट समय की एवं पक्की डामर सड़क सीमा में तथा भविष्य में विस्तारित सीमा की भूमि का आवंटन करवा लिया है, जो निरस्त योग्य है। अपीलार्थीके योग्य अभिभापक का यह भी कथन है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के तहत् भूमि का आवंटन किया गया है जिसके नियम–4 में भूमि जो इन नियमों के अधिन आवंटन हेतु उपलब्ध नही होगी के विन्दु संख्या 5 (च) में स्पष्टतया अंकित किया गया है कि किसी राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा पक्का कंकरीट सड़क के मध्य से 50 गज (अर्थात् 150 फीट) तक की भूमियां आवंटन हेतु उपलब्ध नही होगी अर्थात् ऐसी भूमि का आवंटन नही किया

Scanned by CamScanner

जावेगा। तहसीलदार डूंगरपुर की रिपोर्ट अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को आवंटित अपीलाधीन भूमि 50 गज अर्थात् 150 फीट के अंदर की भूमि है, जो नियमों के विपरित होकर जरिये मीस रिप्रजेन्टेशन एवं प्रॉफ के आवंटित भूमि है जिसे निरस्त किया जावे।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के योग्य अभिभाषक का कथन है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को उनके पुराने कब्जे की भूमि का नियमानुसार आवंटन हुआ है। अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड डूंगरपुर के पत्र अनुसार थाणा–मेवाडा सड़क ओडीआर श्रेणी की है। आवंटन के वक्त भूमि ग्रामीण सड़क थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का आवंटीत भूमि पर पुराना कब्जा है जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को नियमानुसार भूमि का आवंटन होकर इस पर काविज है तथा पेनाल्टी जमा करायी है। आवंटन नियमानुसार किया गया है, जिससे प्रार्थना पत्र अपीलार्थी खारीज किया जावे। प्रकरण में औपचारिकता रूपेण उपस्थित पेरोकार सरकार द्वारा आवंटित भूमि की प्राप्त मौका रिपोर्ट की ताईद की गई।

उभय पक्षकारान के योग्य अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत वहस पर मनन करते हुए पत्रावली, इसमें संलग्न प्राप्त रिपोर्ट्स एवं कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 का अवलोकन किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को ग्राम थाणा की बिलानाम आराजी संख्या 2787 में से रकबा 10 बिस्वा भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन वर्ष 2008 में हुआ है, जिसका नवीन आराजी संख्या 4327/2787 कायम होकर गैर खातेदार के तौर पर दर्ज रेकार्ड है। तहसीलदार डूंगरपुर की रिपोर्ट क्रमांक 529 दिनांक 27.03.2018 का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट के अनुसार विवादित खसरा संख्या 4327/2787 रकबा 10 बिस्वा ग्राम थाणा में थाणा–मेवाडा मार्ग पर स्थित होकर श्री हिरा एवं हाकेर पटेल के नाम गैर खातेदार के रूप में दर्ज है। रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार उक्त खसरा संख्या 4327/2787 का मेवाडा तरफ वाला कोना प्रथम छोर थाणा मेवाड़ा सड़क के मध्य से 12 मीटर (40 फीट) दुरी पर तथा अंतिम छोर 24 मीटर (79 फीट) दूरी पर स्थित है। इसी प्रकार थाणा तरफ वाला प्रथम कोना छोर थाणा–मेवाड़ा सड़क मध्य से 22 मीटर (72 फीट) तथा अंतिम छोर 36 मीटर (118 फीट) दूरी पर स्थित है। अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण खण्ड डूंगरपुर के पत्र क्रमांक 130 दिनांक 09.04.2018 के अनुसार थाणा–मेवाड़ा सड़क श्रेणी वर्ष 2008 में ओडीआर अन्य जिला सडक होकर केरिज–वे की चौडाई 3–00 मीटर एवं फोरमेशन चौडाई 7.50 मीटर थी, जिसकी चौडाई बढाने का कार्य वर्ष 2014–15 में किया जाकर इसका केरिज–वे 7.00 मीटर एवं फोरमेशन चौडाई 12 मीटर होकर सड़क ओडीआर–01 अन्य जिला सड़क है। सार्वजनिक निर्माण विभाग की रिपोर्ट में मात्र सडक की चौडाई का ही वर्णन किया गया है तथा इससे रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 को किया गया आवंटन का समर्थन नही होता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत पेनाल्टी रसीद की छाया प्रतियां से आवंटित भूमि पर कब्जा प्रमाणित नही होता है चूंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को इस आराजी में अन्य भूमियां भी आवंटित

Scanned by CamScanner

हुई है। आराजी भूमि 2787 का रकबा बडा है जिससे विपक्षी ने किस भूमि की पेनाल्टी जमा करायी है यह प्रमाणित नही होता है। राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम–4 में आवंटन हेतु अनुपलब्ध भूमि का वर्णन है, जिसके बिन्दु (V) (च) में किसी राजपथ अथवा पक्की या कंकरीट सड़क के मध्य से दोनों ओर 50 पचास गज की दुरी के भीतर स्थिति भूमियों का अंकन है अर्थात् किसी पक्की या कंकरीट सड़क के मध्य से 150 फीट के भीतर स्थित भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया जाना नियमों के अंतर्गत प्रतिबंधित है। रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 को आवंटित संपूर्ण भूमि थाणा–मेवाडा अन्य जिला सड़क के मध्य से 50 गज अर्थात् 150 फीट के भीतर की भूमि है, जिससे यह आवंटन नियमों के विपरित किया गया आवंटन है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के पत्र अनुसार आवंटन वर्ष 2008 में थाणा–मेवाडा सड़क ओडीआर अन्य जिला सड़क श्रेणी की सड़क होना प्रमाणित है। ओडीआर अन्य जिला सड़क पक्की सड़क होती है। कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियमों में पक्की/कंकरीट सड़क मध्य से 50 गज अर्थात् 150 फीट के भीतर स्थित भूमियां आवंटन हेतु प्रतिबंधित है तथा ऐसी भूमियों का आवंटन किया जाना अथवा ऐसी भूमियों के आवंटन को यथावत रखा जाने से भविष्य में सड़क की चौडाई के कार्य में जहां बाधा उत्पन्न होगी वही इसके मुआवजे का भी भुगतान करना पड़ेगा जिससे सरकार को आर्थिक नुकसान होगा। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को किया गया उक्त आवंटन कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम–1970 के विपरित होकर यह आवंटन जरिये फ्रॉड एवं मिसरिप्रजेन्टेशन के होने से इसका समर्थन किया जाना न्यायोचित एवं विधि सम्मत नही है।

अतः उपरोक्त विवेचना अनुसार अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के नाम ग्राम थाणा की आराजी संख्या 2787 में जरिये मीसल संख्या 139/2008 दिनांक 08.01.2008 के कृषि प्रयोजनार्थ किया गया आवंटन रकबा 10 बिस्वा भूमि जिसका नवीन बटा नम्बर 4327/2787 कायम हुआ है का आवंटन निरस्त किया जाता है एवं आवंटित भूमि को पूर्ववत बिलानाम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार डूंगरपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम की जावें।

(चेतन देवडा)
जिला कलक्टर
डूंगरपुर

Scanned by CamScanner